संशोधन

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 12–32/14/सत्रह/मेडि–3 भोपाल, दिनांक 16/09/2014

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें सतपुड़ा भवन भोपाल (म.प्र.)
19 SEP 2014
2092

प्रति,

आयुक्त,
स्वास्थ्य सेवाएं,
म.प्र., भोपाल।

विषय :म.प्र.राज्य बीमारी सहायता निधि प्रबंधन समिति में लिये गए निर्णय अनुसार कार्यवाही के संबंध में ।

= 0 0 =

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 28–08–14 को जारी आदेश के अनुक्रम में म.प्र.राज्य बीमारी सहायता निधि एवं मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के सरलीकरण हेतु लिए गए निर्णय के आधार पर निम्नानुसार संशोधन किये जाते है –

1. आदेश दिनांक 28–08–14 को जारी परिपत्र के बिंदु क्रमांक 1 में उल्लेखित शर्त में पात्र हितग्राही को चिन्हित बीमारियों के लिए राशि रूपये 2.00 लाख तक की सकल सीमा के अन्तर्गत परिवार के सदस्यों को भी आवश्यकता होने पर योजना का लाभ दिया जा सकेगा।

   गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए राज्य के अंदर निर्धारित पैकेज रूपये 1.5 लाख एवं दवाईयों हेतु रूपये 50 हजार बढ़ाई जावें । इस हेतु परीक्षण पर आवश्यक राशि का निर्धारण किया जावें। राज्य बीमारी सहायता निधि एवं मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के लिए पैरा 1 एवं 2 के समावेश हेतु नियमों में आवश्यक संशोधन किया जाये ।

2. आदेश दिनांक 28–08–14 को जारी परिपत्र के बिंदु क्रमांक 2 में उल्लेखित शर्त को शिथिल कर संभाग के स्थान पर संभागीय जिला मुख्यालय यथा भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा तथा सागर को छोड़कर प्रदेश के शेष जिले अब राज्य बीमारी सहायता निधि एवं मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के रोगियों को सीधे निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त अस्पतालों में उपचार हेतु भेज सकेंगे ।

   राज्य बीमारी सहायता निधि एवं मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों द्वारा चिकित्सक के परामर्श अनुसार शासकीय अथवा निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में उपचार कराया जा सकेगा।

निरंतर....2/–

3. राज्य बीमारी सहायता निधि एवं मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के लिए केन्द्र शासन द्वारा भोपाल में संचालित बी.एम.एच.आर.सी. एवं एम्स द्वारा योजना अंतर्गत पात्र मरीजों को उपचार प्रदान करने की पात्रता होगी।

16/9/14
(डॉ. ग़नी अहमद खान)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क्रमांक एफ 12–32/14/सत्रह/मेडि–3 भोपाल, दिनांक 16/09/2014

प्रतिलिपि :

1. निज सचिव, माननीय मंत्री/माननीय राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. सचिव, म.प्र.शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल ।
4. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश ।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
6. समस्त, संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश ।
7. समस्त कलेक्टर/सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश ।

16/9/14
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग